

# प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/181338/GZB/GHAZIABAD/9980/CFO

दिनांक: 15-12-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DELHI PUBLIC SCHOOL GHAZIABAD INTERNATIONAL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **1402K, 1403, 1404, 1435 TO 1438, 1440 TO 1444 ETC, AT DPSG INTERNATIONAL, PO-DASNA, HINDON NAGAR, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DELHI PUBLIC SCHOOL GHAZIABAD INTERNATIONAL	4	0	14.70 mt.
0	0	0	0 mt.

तथा प्लॉट एरिया **29981.27 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **DELHI PUBLIC SCHOOL GHAZIABAD INTERNATIONAL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **17-12-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RENU TIWARI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-12-2025** से **19-12-2030** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के आधार पर NBC-2005 उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 नियमावली-2024 अनुसार निम्न उपबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, 1- फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अहं एजेन्सी से कराया जाय। 2- विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Rahul Pal)

[AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA]

20-12-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-12-2025  
स्थान : GHAZIABAD

